12/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान व उनके वकील अनुपस्थित रहकर बार-बार मौका लगाया गया, किन्तु ना ही तो वकील व ना ही पक्षकारान उपस्थित आये। अतः वाद पत्र मय पैरवी मय हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Sanjeev